



मध्यप्रदेश विधान सभा  
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)  
गुरुवार, दिनांक 15 मार्च, 2018 (फाल्गुन 24, शक संवत् 1939)  
विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.  
अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 एवं 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 163 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 216 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

- (1) श्री के. डी. देशमुख, सदस्य की बालाघाट जिले के कटंगी के ग्रामों में डाटा सर्वर न जुड़ने से जनता को योजनाओं का लाभ न मिलने,
- (2) श्री प्रताप सिंह लोधी, सदस्य की दमोह जिले के तेन्दूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जरूआ में पेयजल संकट होने,
- (3) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की मध्यप्रदेश सहित हरदा जिले के लोगों द्वारा पट्टा की मांग की जाने,
- (4) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के विछुआ में पट्टों के दावों का निराकरण न होने,
- (5) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर नगर पालिका की सीमा में बसी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा का अभाव होने,
- (6) श्री सचिन यादव, सदस्य की जिला खरगोन तहसील कसरावद के बोरावा-भनगांव मार्ग स्थित वेदा नदी कर पुल जीर्ण-शीर्ण होने,
- (7) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की प्रायवेट स्कूलों की विभिन्न मांगे पूरी की जाना,
- (8) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य की प्रदेश के गौशालाओं में गायों का संरक्षण एवं संवर्धन करने,
- (9) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले के हनुमना डी.सी. के अंतर्गत ग्रामों में बिजली विभाग द्वारा लापरवाही करने तथा
- (10) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की ग्वालियर के ज्योतिपुरा कटीपुरा में अवैध उत्खनन होने, संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

3. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) भोपाल एवं बैतूल जिले में दो युवतियों द्वारा आत्महत्या की जाना

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने उल्लेख किया कि बैतूल जिले के शाहपुर थाना के ग्राम कामठी में 20 वर्षीय जया ने कल छेड़खानी की रिपोर्ट थाने में सुबह 11.00 बजे की. पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से शाम को उसने आत्महत्या कर ली. प्रदेश में बालिकाएं एवं महिलाएं असुरक्षित हैं. अभिभावक अपनी बच्चियों को कालेज और स्कूल भेजने में डर रहे हैं. भोपाल शहर एवं पूरा प्रदेश आंदोलित है. इस पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, कृपया चर्चा कराएं. अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि चर्चा कराने के लिए हम सहमत हैं. दोनों विषय जोड़ कर ध्यानाकर्षण लेकर इस पर 20 मार्च, 2018 को चर्चा करायेंगे.

(2) आदिवासियों को बोनस का नगद भुगतान किया जाना

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि जनता की गाढ़ी कमाई जो बोनस का, मजदूरों का पैसा है, 260 रुपये की साड़ी, जूता चप्पल देने का सरकार प्रयास कर रही है और जो साड़ियां 260 रुपये की हैं, वह साड़ी सूरत में 70 रुपये की आ रही है. मजदूर आदिवासियों का बोनस का पैसा उनको नगद मिलना चाहिये. उसमें मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री जी का फोटो छपवाकर चुनाव में राशि का दुरुपयोग करना उचित नहीं है.

(3) पन्ना जिले में पेयजल संकट होना

श्री मुकेश नायक, सदस्य ने उल्लेख किया कि पन्ना जिला सूखाग्रस्त घोषित हुआ है. कम पानी गिरने के कारण भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है और पेयजल की भारी समस्या का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है. पीएचई विभाग को ज्यादा सतर्कतापूर्वक नल सुधारने के लिए, नल-जल योजनाओं को सुधारने के लिए, पेयजल के परिवहन के लिए तत्परतापूर्वक जो काम पन्ना जिले में करना चाहिए, वह अभी नहीं हो पा रहा है. शासन इस पर ध्यान दे.

(4) भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलाई जाना

श्री बाबूलाल गौर, सदस्य ने उल्लेख किया कि मेरा बहुत गंभीर मामला है. भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन नहीं चलाने के कारण हमारा प्रदेश पिछड़ता जा रहा है. सरकार की कोई इच्छा-शक्ति नहीं है कि मध्यप्रदेश के अंदर मेट्रो ट्रेन चलाई जाए. अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को सूचित किया कि यह विषय पहले भी कॉल-अटेंशन में आ चुका है.

(5) राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों को नियमानुसार नगद राशि का भुगतान न होना

श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि गुना जिले के राघोगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी, आरोन में वर्तमान समय में गेहूँ, चना और धनिया की खरीदी का कार्य चल रहा है. इसमें व्यापारियों द्वारा वर्तमान में सिर्फ 10 हजार रुपये का भुगतान किसानों को किया जा रहा है और बाकी राशि आरटीजीएस के माध्यम से दी जा रही है, जबकि शासन के नियमानुसार किसानों को न्यूनतम 50 हजार रुपये तक की धनराशि का भुगतान नगद करने के आदेश हैं, परंतु शासन द्वारा आज दिनांक तक 50 हजार रुपये तक का नगद भुगतान नहीं किया जा रहा है.

(6) जौरा विधान सभा क्षेत्र में नहरों से पानी न छोड़ा जाना

श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य ने उल्लेख किया कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में दो नहरें निकलती हैं, एक एलएमसी और एक एबीसी. दोनों बारी-बारी से चलीं, खूब पानी मिला, लेकिन अंत में जब अरहर की फसल को काटकर गेहूँ बोया गया था, वह गेहूँ कच्चा है, अगर उसको एक पानी नहीं मिला तो वह फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी. इसलिए जनता में भारी आक्रोष है. वहां दो दिन के लिए पानी छोड़ दिया जाए तो पंपों से किसान पानी दे देंगे.

(7) दमोह जिले में पेयजल संकट होना

श्री प्रताप सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि दमोह जिले के तेंदूखेड़ा विकासखण्ड के ग्राम जरुआ में भीषण पेयजल संकट आ गया है. यहां के कुएं सूख गए हैं, साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा एक भी हैंडपंप का खनन नहीं किया गया है. लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं पर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है. इसके चलते ग्रामीण आसपास के पोखरों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. इससे बच्चों में कुपोषण की बीमारी फैल रही है, दो बच्चों की मृत्यु हो चुकी है एवं 4 बच्चे अभी भी बीमार हैं. उक्त समस्या के निराकरण के लिए शासन जल्दी ही कोई कार्यवाही करे.

(8) बालाघाट जिले की भरवेली माइन्स से वायु प्रदूषण होना

श्री मधु भगत, सदस्य ने उल्लेख किया कि बालाघाट जिले के अंतर्गत भरवेली में स्थित मैंगनीज माइन्स के द्वारा वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे क्षेत्र के करीबी ग्रामों की जनता में कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। कम्पनी द्वारा ग्रामवासियों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके द्वारा वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का प्रशिक्षण तथा इलाज किया जा सके। इसी प्रकार जिले के चिकित्सालय में पल्मोनरी बीमारियों से संबंधित न तो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और न ही मशीनें हैं। यह क्रम वर्षों से जारी है। ग्राम मंझारा, टवेझरी एवं भरवेली में माइन्स में द्वारा वायु प्रदूषण से होने वाली अस्थमा जैसी बीमारियों की जांच हेतु न तो कोई शिविर लगाए गए हैं और न ही जांच हेतु किसी चिकित्सक को भेजा जाता है। बालाघाट जिले की मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, भरवेली माइन्स मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण के अधिनियम, 1981 का उल्लंघन कर रही है। ये सभी बातें विभाग के द्वारा माइन्स के आसपास के ग्रामों में निवासरत ग्रामीणों की अस्थमा की जांच करवाई जाए।

(9) सुवासरा एवं बासौदा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट होना

(अ) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य ने उल्लेख किया कि सुवासरा विधान सभा क्षेत्र की नाहरगढ़ और क्यामपुर पंचायत में पेयजल का संकट है। अभी एक सप्ताह पहले पेयजल के लिए पूरे नाहरगढ़ को जनता के द्वारा बंद रखा गया था। पीने का पानी वहां पर नहीं है, 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। युवा पानी के कारण भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहां पानी की व्यवस्था कराई जाए। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि आज पीएचई विभाग की डिमांड्स हैं, तब इस पर बोल लीजिएगा।

(ब) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य ने उल्लेख किया कि बासौदा विधान सभा की गंजबासौदा, त्योंदा और ग्यारसपुर तहसील के करीब 100 गांवों में भीषण पेयजल संकट व्याप्त है, इसलिए जनता में जबरदस्त रोष व्याप्त है। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि आज पीएचई विभाग की चर्चा है तब इस पर बोल लीजिएगा।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने वाणिज्यिक कर की विभिन्न 111 अधिसूचनाएं पटल पर रखीं।

(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा।

(3) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा।

(4) कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में श्री दीपक जोशी, स्कूल शिक्षा, राज्यमंत्री ने मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2016-17 पटल पर रखे।

6. ध्यान आकर्षण

(1) अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि प्रथम ध्यानाकर्षण सूचना के प्रस्तुतकर्ता श्री बाला बच्चन, सदस्य के आज अपरिहार्य कारण से उपस्थित न हो पाने के कारण माननीय सदस्य के अनुरोध पर बड़वानी एवं खरगोन जिले में पशु औषधि एवं उपकरण खरीदी में अनियमितता किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना आगामी दिवस में ली जाएगी।

(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले के अनेक ग्रामों में चकबंदी को निरस्त कर काबिज भूमि के आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया।

## 6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेइसवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

कुंवर हजारीलाल दांगी, सदस्य ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2018 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक - 7	श्री दिनेश राय	40 मिनट
2.	क्रमांक - 14	श्री रामलल्लू वैश्य	40 मिनट
3.	क्रमांक - 20	श्री शैलेन्द्र पटेल	40 मिनट

कुंवर हजारीलाल दांगी, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी तेइसवें प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य ने याचिका समिति का याचिकाओं से संबंधित अट्टावनवां, उनसठवां एवं साठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

## 7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई :-

- (1) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
- (2) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
- (3) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
- (4) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-शयोपुर)
- (5) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
- (6) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
- (7) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
- (8) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
- (9) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
- (10) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
- (11) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (12) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
- (13) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
- (14) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)
- (15) कुंवर हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
- (16) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)

- (17) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
- (18) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
- (19) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
- (20) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
- (21) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (जिला-सतना)
- (22) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
- (23) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
- (24) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
- (25) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
- (26) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
- (27) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
- (28) श्री नारायण सिंह पँवार (जिला-राजगढ़)
- (29) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
- (30) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
- (31) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
- (32) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
- (33) श्री गोवर्धन उपाध्याय (जिला-विदिशा)
- (34) श्री रामनिवास रावत (जिला-शयोपुर)
- (35) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
- (36) श्री नथनशाह कवरेती (जिला-छिन्दवाड़ा)
- (37) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
- (38) श्री गिरीश भण्डारी (जिला-राजगढ़)
- (39) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
- (40) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)

#### 8. शासकीय वक्तव्य

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2017 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 176 (क्रमांक 7543) के उत्तर भाग (क) एवं (घ) में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

#### 9. लोक लेखा और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त एक-एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3) तथा 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2017-2018 की शेष अवधि के लिए लोक लेखा एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त एक-एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से एक-एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

